संख्या- 277/ 2214 /चार 2025-1735135

प्रेषक,

एस.पी.गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/बेसिक शिक्षा/सूचना एवं जनसम्पर्क/
   वन/गृह/पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2025

विषयः- 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के समापन समारोह के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना 'काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह' का शुभारम्भ दिनांक 09 अगस्त, 2024 को लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' का समापन समारोह दिनांक 08 अगस्त, 2025 को किया जाना है। इस समापन समारोह को सम्पूर्ण प्रदेश में भव्यतापूर्वक विभिन्न राष्ट्रभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए मनाया जाना है।

2(1)- काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में दिनांक 08 अगस्त, 2025 को प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों/स्मृति स्थलों/अमृत सरोवरों/अमृत वाटिकाओं पर वृहद रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए वृक्षारोपण किया जाए, जिसे एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ा जाए।

(2) काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह के अन्तर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थानों यथा-बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के छात्र-छात्राओं द्वारा आजादी के नायकों के चित्र, देशभक्ति के नारे लिखी पट्टिकाओं को हाथ में लेकर प्रभात फेरी निकाली जाए, जिसमें राष्ट्र भक्ति के गाने भी बजाये जाएं। प्रभात फेरी की दूरी लगभग 0.5 किमी0 से 1.0 किमी0 की होगी जिसमें नागरिक सुरक्षा संगठन एवं पुलिस के द्वारा सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किये जाएंगे।

(3) काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना एवं काकोरी के नायकों पर आधारित भाषण, निबन्ध लेखन, सुलेख लेखन, वाद-विवाद आदि विषयों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन माध्यमिक विद्यालयों में किया जाए तथा इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 08 अगस्त, 2025 को आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया जाए।

(4) समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों एवं विशेष रूप से शहीद स्मारकों, स्मारक स्थलों, शहीद पार्कों, अमृत वाटिकाओं, अमृत सरोवरों आदि पर दिनांक 06 एवं 07 अगस्त, 2025 को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के समस्त शहीद स्थलों/स्मारकों पर राष्ट्र धुन एवं राष्ट्रभक्ति गीत बजाए जाएंगे तथा अर्द्ध सैनिक एवं सैन्य बलों/पुलिस/पी0ए0सी0/होमगार्ड/स्काउट गाइड के बैण्ड/एन०सी०सी०/

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के बैण्ड द्वारा यथानुसार राष्ट्रधुन पर आधारित बैण्ड वादन किया जाएगा।

(5) स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल यथा- काकोरी(लखनऊ), शाहजहांपुर, बलिया, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मैनपुरी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर, गोण्डा जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वृहद स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन आयोजनों में स्थानीय स्वंतत्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये तथा उनके संस्मरणों को आम जनता को सुनाया जाए।

(6) जनपद लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से समस्त जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में एल0ई0डी0 के माध्यम से किया जाये। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, जिसमें उन्हें प्रदेश की गौरवमयी इतिहास की जानकारी दी जाए।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार दिनांक 08 अगस्त, 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के समापन अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के साथ शहीदों को नमन करते हुए गरिमामयी आयोजन सुनिश्चित किए जाएं।

भवदीय,
एस.पी. गोयल,
मुख्य सचिव।

संख्या-277/2214(1) /चार-2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।